प्रेस नोट

दिनांक 4.11.2026

दहेज हत्या के संबंध में वाछिंत 02 नफर अभियुक्त गिरफ्तार।

पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद मऊ के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के पर्यवेक्षण में तथा क्षेत्राधिकारी मुहम्मदाबाद गोहना महोदय के कुशल नेतृत्व में दिनांक 04.11.2026 को थाना मुहम्मदाबाद गोहना पुलिस द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान जरिये मुखबिर की सूचना पर ग्राम भीरा कोडरा से मु0अ0सं0 372/2026 धारा 85, 80(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम से सम्बन्धित 02 नफर वांछित अभियुक्तगण 1. अवनीश कुमार पुत्र बुधिराम निवासी ग्राम भीरा कोडरा, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, 2. बुधिराम पुत्र स्व0 किशुन निवासी ग्राम भीरा कोडरा, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, को गिरफ्तार कर मा0 न्यायालय चालान किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. अवनीश कुमार पुत्र बुधिराम निवासी ग्राम भीरा कोडरा, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, उम्र करीब 28 वर्ष।
2. बुधिराम पुत्र स्व0 किशुन निवासी ग्राम भीरा कोडरा, थाना मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ, उम्र करीब 56 वर्ष।

अपराधिक विवरण-

मु0अ0सं0- 372/2026 धारा- 85, 80(2) बीएनएस एवं 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम। थाना- मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ।

गिरफ्तारी का दिनांक समय व स्थान –

दिनांक – 4.11.2026, समय, करीब 08:50 बजे, स्थाना- ग्राम भीरी कोडरा

जनपद मऊ पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही, 07 नफर अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के निर्देशन में दिनांक- 04.11.2026 को जनपद के समस्त थाना क्षेत्रों में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में विभिन्न थानो द्वारा प्रभावी कार्यवाही करते हुए अलग- अलग स्थानों से अभियुक्तों की गिरफ्तारी /बरामदगी व विभिन्न मामलों में वारंटी अभियुक्त को गिरफ्तार कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की गई।

थानावार कार्यवाही का विवरण-

1.थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण जवाहर चौहान पुत्र गनेश चौहान, 2. सुभाष चौहान पुत्र स्व0 झिलमिट चौहाना निवासीगण भेलउर चंगेरी भउरिहा थाना घोसी 3. दिनेश राजभर पुत्र रामअवध निवासी खैरामुहम्मदपुर थाना घोसी जनपद मऊ।

2.थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त कामरुजमा पुत्र वसीकुरहमान निवासी शिवपुर गांढ़ा हिकमा चट्टी थाना कोपागंज जनपद मऊ।
3.थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा सनी उर्फ सन्नी सिंह पुत्र पुष्पराज सिंह निवासी अली नगर थाना सरालखन्सी जनपद मऊ।
4. थाना चिरैयाकोट पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त हरिश्चन्द्र पुत्र बेदर सिंह नि0 सरसेना थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ
5. थाना रानीपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त विनोद कुमार पुत्र केदार सा0 घुटमा थाना रानीपुर जनपद मऊ।
अभियुक्तगण उपरोक्त को गिरफ्तार कर चालान माननीय न्यायालय किया गया।

जनपद मऊ साइबर पुलिस टीम मधुबन द्वारा पीड़ित का फ्रॉड हुआ कुल धनराशि- 10,000/- (दस हजार रुपये) पीड़ित को वापस कराया गया-

पुलिस अधीक्षक जनपद मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा के कुशल निर्देशन में साइबर फ्राड रोकथाम व जागरुकता के तहत चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक श्री अनूप कुमार के कुशल पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारीगण के कुशल नेतृत्व में दिनांक- 04.11.2026 को पीड़ित यशवीर कुमार निवासी कटघरा शंकर थाना मधुबन जनपद मऊ से दोस्त के नाम पर फर्जी फेसबुक आइडी से फ्राड की गयी कुल धनराशि- 10,000/- रूपये (दस हजार रुपये) MRM PORTAL के माध्यम से साइबर पुलिस टीम जनपद मऊ द्वारा वापस कराया गया।
पुलिस अधीक्षक मऊ द्वारा आमजन से अपील की गई है कि किसी भी प्रकार की ऑनलाइन ठगी, अज्ञात लिंक, फर्जी कॉल, केवाईसी अपडेट, निवेश, लोन, पार्ट टाइम जॉब अथवा OTP साझा करने से सावधान रहें। साइबर ठगी होने पर तत्काल साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 अथवा www.cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं।

ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत 01 अभियुक्त को जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदण्ड से कराया गया दण्डित

श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 लखनऊ द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिलाधिकारी मऊ व पुलिस अधीक्षक मऊ के पर्यवेक्षण में अभियोजन विभाग की समन्वित प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप दिनांक- 04.11.2026 को चिन्हित मु0अ0सं0- 927/2008 धारा- 60 आबकारी अधिनियम व 272 भा0द0वि0 थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ से सम्बन्धित दोषी अभियुक्त किशन कुमार उर्फ किशुन कुमार पुत्र लालचन्द्र राम निवासी ग्राम सैदबाड़ा थाना मुहम्मदाबाद गोहना जनपद मऊ को मा0 न्यायालय एएसजे /एडीजे द्वितीय कोर्ट, जनपद

मऊ द्वारा जेल में बितायी गयी अवधि की सजा व 2,000/- रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थ दंड अदा न करने पर 15 दिवस का अतिरिक्त कारावास से दण्डित किया जायेगा।

***पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा चुनाव कार्यालय का किया गया निरीक्षण, दिया गया आवश्यक दिशा-निर्देश* ।**

आज दिनांक 04.11.2026 को कानून-व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने, आगामी चुनाव तैयारियों की समीक्षा तथा प्रशासनिक कार्यालयों की कार्यप्रणाली को चुस्त-दुरुस्त रखने के उद्देश्य से पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा चुनाव कार्यालय का औचक निरीक्षण किया गया। चुनाव कार्यालय में निर्वाचन से संबंधित तैयारियों, सुरक्षा प्रबंधों, और पूर्व के अभिलेखों की समीक्षा की गई एवं अभिलेखों को पूरी तरह से अद्यतन रखने के निर्देश दिए गए। संबंधित कर्मचारियों को चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का अक्षरशः पालन करने के निर्देश दिए गए।
इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कार्यालय में साफ-सफाई और अभिलेखों के सुरक्षित रख-रखाव के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान चुनाव प्रभारी व संबंधित अधिकारी एवं कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत आज दिनांक 04.11.2026 को सायकाल पुलिस अधीक्षक मऊ श्री सर्वेश कुमार मिश्रा द्वारा, क्षेत्राधिकारी नगर श्री नितेश प्रताप सिंह, श्रेत्राधिकारी घोसी श्री सतेन्द्र भूषण तिवारी, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली नगर, प्रभारी सरायलखंसी, महिला थानाध्यक्ष, प्रभारी यातायात व पर्याप्त पुलिस बल के साथ गाजीपुर तिराहा से आजमगढ़ मोड़ तक रुट मार्च/पैदल गस्त कर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया।
इस दौरान भ्रमण कर रोड के किनारे अतिक्रमण आदि बाजारों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों, एवं महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों के आस-पास रुट मार्च/पैदल गस्त कर आम जनमानस में शांति/सुरक्षा व्यवस्था के प्रति आश्वस्त किया गया।